2. (अ) प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के पूर्व से रिक्त पद एवं जून 2013 से जुलाई 2014 तक रिक्त होने वाले पदों पर लेखपाल संवर्ग से राजस्व निरीक्षक पद पर प्रोन्नति कार्यसरकार एवं जनहित में तत्काल की जाये।

(ब) मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में विगत एक वर्ष पूर्व लिये गये निर्णय के अनुपालन में राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों के मध्य **1:10** के अनुसार राजस्व निरीक्षको के पदों का सृजन अति शीघ्र करके लेखपाल संवर्ग से पदोन्नति की जाये।

3. छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत 40 प्रतिशत अवशेष एरियर एवं जनपद कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद का 20 प्रतिशत पूर्व का अवशेष एरियर के भुगतान हेतु तत्काल जनपदों को वांछित बजट उपलब्ध कराया जाये।

4. भूलेख अधिष्ठान में 2400/–रू0 ग्रेड पे का कोई पद नहीं है, इसके पश्चात् भी 10 वर्ष की सेवा पर लेखपालों को उक्त ग्रेड पे दिया जा रहा है, जबकि पूर्व में अर्हतायुक्त लेखपालों को 2800/–रू0 ग्रेड पे का द्वितीय वेतनमान प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में एक ही संवर्ग में दो प्रकार के माप दण्ड निर्धारित करना न्यायोचित नहीं है।

अतः 10 वर्ष की सेवा पर लेखपालों को ग्रेड पे 2800/–रू0 प्रदान किया जाये।

5. कृषि गणना, पशु गणना, आर्थिक गणना व क्राफ्स कटिंग आदि का मानदेय अभी तक नहीं मिला है अतिशीघ्र भुगतान कराया जाये।

6. संस्था द्वारा अनेको पत्राचार करने के पश्चात भी प्रपत्र प0क0 11 क, प0क0 11 ख, प0 3, प0क0 3, दिनचर्या बही, खसरे का कवर, हस्तान्तरण फार्म (प0क0 1) व जमींदारी क्षेत्र की खतौनी व खेवट के फार्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। प0क0 11 ख प्रपत्र का वर्ष 2005 से अभी तक मुद्रण ही नहीं किया गया है।

अतः समस्त प्रपत्रों को समय से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाये।

7. प्रदेश में अधिकांश ग्रामों के मानचित्र काफी जीर्ण–शीर्ण एवं अस्पष्ट हो गये हैं जिसके कारण कार्य सरकार सम्पादित करने में असुविधा होती है। नये मानचित्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये।

8. (अ) प्रदेश में संस्था की स्वर्ण जयन्ती समारोह दिनांक 22.11.2012 के शुभ अवसर पर संस्थागत मांग पत्र पर मा0 राजस्व मंत्री महोदय (तत्कालीन) द्वारा की गयी घोषणाओं के क्रम में लेखपालों की वर्तमान शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के स्थान पर स्नातक करने एवं नियुक्त प्राधिकारी उप जिलाधिकारी के स्थान पर जिलाधिकारी बनाये जाने के निर्णय को मूर्त रूप अभी तक नहीं दिया गया है। अतिशीघ्र नियमावली में संशोधन करवाया जाये।

(ब) प्रदेश के लेखपालों के ऊपर कार्यों के बोझ आदि को दृष्टिगत रखते हुए पंजाब प्रान्त की भांति प्रारम्भिक ग्रेड–पे 2000/–रू0 के बजाए 3200/–रू0 करने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

9. प्रदेश में आय अंकित करने का मापदण्ड निर्धारित नहीं है जिसके कारण तहसीलों में प्रायः विवाद होते रहते है। इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र का अभी तक निस्तारण

शेष पृष्ठ–3–पर